

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—12/2020 (2020/00028) वादपत्र

अनवान

1. बंशीलाल पिता बगतावर गुर्जर निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. दुदा पिता आसु गुर्जर निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रूकमणी पिता पन्ना गुर्जर निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायणलाल पिता दुदा गुर्जर निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मोहन पिता पन्ना गुर्जर निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गेहरु पिता पन्ना नाबाबेवि जरिये माता रूकमणी पत्नि पन्ना गुर्जर नि. बागड़ तह. रायपुर
6. रामुड़ी पुत्री पन्ना पत्नि भैरूलाल गुर्जर निवासी आक्या तहसील आमेट जिला राजसंमद
7. भागुड़ी पुत्री पन्ना पत्नि सुरेश गुर्जर निवासी चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. नाथुराम पिता लालुराम गुर्जर निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. शाखा प्रबन्धक भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनिल बापना -

अधिवक्ता वादी

दिनांक 18.10.2021

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व संशोधित आदेश दिनांक 05.10.2021 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बागड़ पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के संयुक्त खाता संख्या 04 में वर्णित आराजी संख्या 909/306 रकबा 1.53 है० भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 8 का 1/4 हिस्से का मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 11.10.2021 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन



*(Signature)*

कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बागड़ तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 909/306/1 रकबा 0.77 है० भूमि बंशीलाल पिता बगतावर गुर्जर सा.देह खातेदार रहन जीएसएस बागड़ तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 909/306/2 रकबा 0.38 है० भूमि नाथुराम पिता लालुराम गुर्जर सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 909/306/3 रकबा 0.38 है० भूमि आसु पिता नाथु गुर्जर मृतक के बजाय उनके वारीसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Shun*  
18.10.2021  
(सुन्दरलाल बम्बोडा)  
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिवक्ता) (सी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा  
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा  
पीठासीन अधिकारी:-श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.  
मुकदमा नम्बर:-12/2020 (2020/00028) वादपत्र

अनवान

1. बंशीलाल पिता बगतावर गुर्जर निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. दुदा पिता आसु गुर्जर निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. रूकमणी पिता पन्ना गुर्जर निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नारायणलाल पिता दुदा गुर्जर निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मोहन पिता पन्ना गुर्जर निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. गेहरू पिता पन्ना नाबाबेवि जरिये माता रूकमणी पत्नि पन्ना गुर्जर नि. बागड़ तह. रायपुर
6. रामुड़ी पुत्री पन्ना पत्नि भैरूलाल गुर्जर निवासी आक्या तहसील आमेट जिला राजसंमद
7. भागुड़ी पुत्री पन्ना पत्नि सुरेश गुर्जर निवासी चिलेश्वर तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
8. नाथुराम पिता लालुराम गुर्जर निवासी बागड़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. शाखा प्रबन्धक भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर तहसील रायपुर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरु हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बागड़ तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 909/306/1 रकबा 0.77 है0 भूमि बंशीलाल पिता बगतावर गुर्जर सा.देह खातेदार रहन जीएसएस बागड़ तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 909/306/2 रकबा 0.38 है0 भूमि नाथुराम पिता लालुराम गुर्जर सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 909/306/3 रकबा 0.38 है0 भूमि आसु पिता नाथु गुर्जर मृतक के बजाय उनके वारीसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के नाम रहन बीआरकेजीबी शाखा रायपुर के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 18.10.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



*Sundar Lal Bumboda*  
18.10.2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर, जिला भीलवाड़ा  
राजस्थान (भीलवाड़ा)